



Neutral Citation No. -2026:AHC:2311

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44511 वर्ष 2025

सतीश गिरी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : बेद प्रकाश राय

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. वाद सूची पुनरीक्षित की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बेद प्रकाश राय, राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक वाद अपराध संख्या 198 सन् 2016, धारा 302, 120-बी आई.पी.सी., थाना- दिल्ली गेट, जनपद- मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। विचारण के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। प्रस्तुत वाद में वह 22.10.2016 से कारागार में निरुद्ध है, जबकि वह वर्ष 2006 से ही कारागार में था, क्योंकि वह वाद अपराध संख्या 141 सन् 2005, धारा 302 आई.पी.सी., थाना- भावनपुर, जनपद- मेरठ से उद्भूत अन्य सत्र परीक्षण संख्या 671 सन् 2006 में दोषसिद्ध हुआ था, तथा इस न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील संख्या 454 सन् 2011 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 के द्वारा उसे जमानत पर रिहा किया गया था।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त सुरेन्द्र राणा के समान है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा फौजदारी विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 8220 सन् 2018 में पारित आदेश दिनांक 5.3.2018 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। विचारण अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, क्योंकि पिछले नौ वर्षों के दौरान भी इसका समापन नहीं हो सका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22.10.2016 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान स्टेट लॉ ऑफिसर ने जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए निवेदनों का खण्डन नहीं कर सके।

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, तथा आवेदक की निरुद्धता की अवधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित अपराध के समय भी वह कारागार में निरुद्ध था, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, *प्रथमदृष्टया* न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक- **सतीश गिरी** को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 7, 2026

रवि कांत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।